



HKCI and KIJIA

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2010/पौष 18, 1931		
No. 34]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2010/PAUSA 18, 1931		

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2010

का.आ. 43(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 का और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :----

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 9 [40.000 कि.मी.	आंध्र प्रदेश
से 266.400 कि.मी. छोड़कर (हैदराबाद से	राज्य सरकार"
नंदीगाम से विजयवाड़ा)] सं 16 [205.0 कि.मी.	
से 235.0 कि.मी. छोड़कर (चेन्नुर से अर्जुन-	
गुटट्र)] सं. 18 [167.750 कि.मी. से 356.502	
कि.मी. छोड़कर (कडप्पा से कुरनूल)] सं 18क,	
सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205, सं. 214,	
सं. 214क, सं. 219, सं. 221, सं. 222 और	
सं. 234 आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है ।	
	नंदीगाम से विजयवाड़ा)] सं 16 [205.0 कि.मी. से 235.0 कि.मी. छोड़कर (चेन्नुर से अर्जुन- गुटयू)] सं 18 [167.750 कि.मी. से 356.502 कि.मी. छोड़कर (कडप्पा से कुरनूल)] सं 18क, सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205, सं. 214, सं. 214क, सं. 219, सं. 221, सं. 222 और

[फा. सं. एनएच-14013/10/2009-पीएंडएम]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

पाद टिप्पण.—-मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 2595(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2009 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2010

S.O. 43 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) notification number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :----

"1	So much of National Highways No. 4,	State		
	No. 9 [excluding from km. 40.000 to	Government		
	km. 266.400 (from Hyderabad to	of Andhra		
	Nandigama to Vijayawada)], No. 16	Pradesh".		
	[excluding from km. 205.0 to km. 235.0			
	(from Chennur to Arjungutta)], No. 18			
	[excluding from km. 167.750 to			
	km.356.502 (Kadapa to Kurnool)], No. 18A,			
	No. 43, No. 63, No. 202, No. 205, No. 214,			
	No. 214 A, No. 219, No. 221, No. 222 and			
	No. 234 as are situated within the State			
	of Andhra Pradesh.			

[F. No. NH-14013/10/2009-P&M] S. NARENDRA, Director

Footnote:— The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2595(E), dated the 12th October, 2009.

98 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.